| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील डिक्री/टीए/4675/2003/दौसा**<br>**महादेवा बनाम शुकल्या**<br>**अपील डिक्री/टीए/4676/2003/दौसा**<br>**महादेवा बनाम शुकल्या** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**खण्ड–पीठ**
**श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य**
**कमला अलारिया, सदस्य**

**दोनों में उपस्थितिः–**

(1) श्री समीर अहमद, अभिभाषक अपीलांट।
(2) रेस्पो0 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं।

**निर्णय दिनांक :– 05.12.2024**

यह दो अपीले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224, के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा की अपील संख्या 29/1998 एवं 37/2001 में पारित निर्णय दिनांक 22–08–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– दोनों प्रकरणों के पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों का एक साथ निरस्तारण किया गया है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा भी दोनों अपीलों का एक निर्णय से निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति पृथक–पृथक संलग्न की जावें।

3– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने एक दावा तकासमा व घोषणा का विद्वान सहायक कलक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी दादरसी अनुसार हिस्सा कर तकासमा किया जावे। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। दावे एवं जवाब दावे के आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 26–12–1997 से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी एवं दिनांक 19–01–2001 से अंतिम डिक्री जारी कर दी उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष अपीलांट की ओर से प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री की दो अपीले प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों अपीलों का एक साथ दिनांक 22–08–2003 को अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं डिक्री दिनांक 26–12–1997 एवं 19–01–2001 को खारिज कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 22–08–2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील डिक्री/टीए/4675/2003/दौसा**<br>**महादेवा बनाम शुकल्या**<br>**अपील डिक्री/टीए/4676/2003/दौसा**<br>**महादेवा बनाम शुकल्या** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

प्रस्तुत की है।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलांट की बहस अपील पर सुनी गयी।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार से कुर्रेजात बनावाने थे और उसी अनुसार अंतिम डिक्री जारी की थी परन्तु अपीलीय न्यायालय ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही एवं न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री पर कोई अभिमत दिये बिना ही अपना निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः दोनों अपीले अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–08–2003 को अपास्त किया जावे एवं विद्वान सहायक कलक्टर, दौसा द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26–12–1997 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19–01–2001 यथावत् रखने का निवेदन किया।

6– हमने योग्य अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं आलौच्य निर्णयों का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत् स्वयं को खातेदार घोषित करने एवं तकासमा का प्रस्तुत किया। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में निष्कर्ष दिया है कि विवादित आराजी सम्वत् 2054 से 2057 में अपीलांट शुकल्या पुत्र पाला के नाम दर्ज है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) प्रासंगिक है जिसके अनुसार किसी काश्तकार की जोत उसके द्वारा विक्रय कर देने पर निर्वापित हो जाती है। विक्रय विलेख के क्रम में नामांतरकरण दर्ज नहीं हुआ इसलिए वादीगण की ओर से घोषणा और तकासमा का वाद प्रस्तुत किया गया। आर0आर0डी0 1979 केवरिया बनाम सांवलिया प्रतिपादित अभिमत की रोशनी में विक्रय विलेख के अनुक्रम पर नामांतकरकरण दर्ज नहीं होने मात्र से क्रेता के अधिकार समाप्त नहीं होते है और विक्रय विलेख का सक्षम न्यायालय द्वारा शुन्य घोषित नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि विवादित आराजी का 60/– रूपये के स्टाम्प पर विक्रय किया जाना बताया है जबकि विक्रय विलेख के अनुसार 1500/– रूपये में भूमि का विक्रय हुआ है।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील डिक्री/टीए/4675/2003/दौसा**<br>**महादेवा बनाम शुकल्या**<br>**अपील डिक्री/टीए/4676/2003/दौसा**<br>**महादेवा बनाम शुकल्या** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

इसके अलावा अपने निष्कर्ष में यह पाया है कि अंतिम डिक्री 100 रू. के स्टाम्प पर जो दिनांक 21–03–2001 को रेस्पो0 महादेवा द्वारा खरीदा गया है तो डिक्री दिनांक 19–01–2001 को कैसे बन गयी। इस संबंध में हमारा निष्कर्ष है कि डिक्री पर निर्णय की तारीख अंकित की जाती है। इस प्रकार विद्वान अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय तथ्यों के विपरीत है।

8– प्रतिवादी सं0 1 ल0 5 ने अपने जवाब में अभिवचन किया है कि रजिस्ट्री दिनांक 20–07–1977 की बाबत् जानकारी मिलने पर व नकल लेने पर वादी द्वारा किये गये धोखे के बाबत् मन प्रतिवादी शुकल्या ने उक्त रजिस्ट्री को कलेदम व बेअसर करार देने व उक्त भूमि खसरा नं0 65 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा में मन प्रतिवादी शुकल्या का अरसे से कब्जा काश्त में दखल नहीं देने बाबत् पृथक से वाद कर रखा है। इस प्रकार जब विक्रय विलेख को बेकदम बेअसर बाबत् पृथक से प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वाद का क्या निर्णय रहा, यह अभिलेख पर नहीं है तो यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) व राजस्व मण्डल के निर्णय आर0आर0डी0 1979 अपील नं0 17 की रोशनी में पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर वादीगण/अपीलांट को काश्तकारी अधिकार प्राप्त होते है। नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने से अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाते। विक्रय विलेख की शुद्धता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिक बल पर आधारित नहीं है जो अपास्त किये जाने योग्य है और अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है।

9– परिणामतः दोनों अपीले अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–08–2003 को अपास्त करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 26–12–1997 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19–01–2001 यथावत रखी जाती है।

10– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(कमला अलारिया)**
**सदस्य**

**(राजेश कुमार दड़िया)**
**सदस्य**